न्यायलय तहसीलदार (राजस्व), लूणकरणसर

:: निर्णय ::

मिसल न. 01/17. दिनांक 25/10/2017

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ संवत् 2074 में गैर सायल पप्पूराम पुत्र अमरमलराम जाति नाई सा. लूणकरणसर ने चक 295-200 RD के मु. न. 213/25 कि. न. 1, 10, 11, 20 में गैर मुमकिन रास्ता की रकबा 0.08 बिस्वा मे नाजायज कास्त कर अतिक्रमण किया है। संबंधित अप्रार्थी को राजस्थान उप निवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामिल शामिल मिसल किया गया । संबधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब का अवलोकन किया गया जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से संबधिंत गैर सायल पप्पूराम पुत्र अमरमलराम जाति नाई साकिन लूणकरणसर को चक 295-200 RD के मु. न. 213/25 किला न. 1, 10, 11, 20 रकबा 0.08 बिस्वा में गैर मुमकिन रास्ते पर अतिचार करने पर राजस्थान उप निवेश अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू राजस्व दर 0.12 का 50 गुणा रुपये 06/- शास्ती से दण्डीत किया जाता है तथा मौके से गैर मुमकिन रास्ता पर से बेदखल करने एवं कुर्कशुदा फसल को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

फसल निलामी व गैर मुमकिन रास्ता पर से बेदखली बाबत सम्बधिंत गिरदावर हल्का को लिखा जावे। तावान वसूली बाबत् पटवारी हल्का को एवं मांग कायमी बाबत् टी आर ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफतर दाखिल होवे तथा रजिस्टर न. से कम हो।

तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरनसर

Scanned by CamScanner